टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सहायक कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा:

प्रकटीकरण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी के बोर्ड द्वारा कोई महत्वपूर्ण सहायक नीति अनुमोदित नहीं की गई है।

सेबी (एलओडीआर), 2015 के अनुसार, "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी से है, जिसकी आय या शुद्ध संपत्ति सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों की समेकित आय या शुद्ध संपत्ति के क्रमशः दस प्रतिशत से अधिक हो, जो कि तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में हो।

कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के संबंध में अनुपालन

यदि कंपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी बनाती है, तो सेबी (एलओडीआर) के विनियमन **24** के अनुसार निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा:

i. टीएचडीसीआईएल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक होगा।

इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण सहायक" का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी से होगा, जिसकी आय या शुद्ध संपत्ति, तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में टीएचडीसीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की क्रमशः समेकित आय या शुद्ध संपत्ति के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

ii. टीएचडीसीआईएल अपनी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी में शेयरों का निपटान नहीं करेगा, जिससे उसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) **50%** से कम या उसके बराबर हो जाए या वह महत्वपूर्ण सहायक कंपनी पर नियंत्रण समाप्त कर दे, सिवाय इसके कि ऐसा विनिवेश न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित व्यवस्था की योजना के अंतर्गत या दिवालियापन संहिता की धारा **31** के अंतर्गत विधिवत् अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत किया गया हो और ऐसी घटना का समाधान योजना के अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा कर दिया गया हो।

iii. टीएचडीसीआईएल, विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों की पूर्व स्वीकृति के बिना, वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के 20% से अधिक की राशि नहीं बेचेगा, उनका निपटान नहीं करेगा या उन्हें पट्टे पर नहीं देगा, जब तक कि ऐसा न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत न किया गया हो और ऐसी घटना को समाधान योजना के अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट न किया गया हो।

iv. टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति वार्षिक आधार पर वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करेगी।

v. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को समय-समय पर टीएचडीसीआईएल के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

vi. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी का प्रबंधन समय-समय पर टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल के ध्यान में गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन-देन और व्यवस्थाओं का विवरण लाएगा।

"महत्वपूर्ण लेन-देन या व्यवस्था" का अर्थ है कोई भी व्यक्तिगत लेन-देन या व्यवस्था जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देनदारियों, जैसा भी मामला हो, के 10% से अधिक हो या उससे अधिक होने की संभावना हो।